HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence(Bail) Application No. 2105/2025

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2773/2025

Sawantsingh S/o Adisalsingh, Resident Of Plot No. 3B, Bihar Colony, Jagatpura, Jaipur The Then S.h.o., Police Station G.r.p. Neemkathana District Siakr,
At Present Deputy Inspector Grp (Suspended).

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Kapil Gupta, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Rathore, Addl. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

17/10/2025

1. प्रार्थी–अभियुक्त **सावंत सिंह** की ओर से धारा **430 बी.एन.एस.एस. (धारा 389 दं.प्र.सं.)** के अंतर्गत, विद्वान विचारण न्यायालय– **विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सीकर (राजस्थान)** के द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या– **01/2025,** उनवान **राजस्थान राज्य बनाम सावंतसिंह व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **07.10.2025,** जिसके द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त को अपराध अंतर्गत **धारा 7, 13(1)डी, (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा धारा 120 बी भादस** में दोषसिद्ध कर निम्न दंडादेश पारित किया गया है, के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपराध अंतर्गत धारा	सजा	अर्थदंड	अदम अदायगी अर्थ. दंड
7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 सपठित धारा 120 बी भादस	3 साल के साधारण कारावास	10,000/– रुपये	1 मास साधारण कारावास

धारा 13(1)डी, (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 सपठित धारा 120 बी भादस	**3 साल के साधारण कारावास**	**15,000/– रुपये**	**1 मास साधारण कारावास**

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से नियम 311 (3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियमावली 1952 का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।

3. बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का दौराने बहस कथन है कि प्रस्तुत मामले में प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, पत्रावली पर उसे दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त सामग्री/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उनका यह भी कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का गहनतापूर्वक विवेचन किए बिना ही उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 07.10.2025 पारित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है, उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी–अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत पर आजाद था एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसकी सजा एक माह के लिए अस्थायी तौर पर स्थगित की हुई है, उनका यह भी कथन है कि प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः न्यायहित में उसका सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।

6. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

7. प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **सावंत सिंह पुत्र अडिसाल सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद **50,000/–रूपए (अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं **25,000–25000/–रूपए (अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह इस न्यायालय में दिनांक **17.11.2025** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए कारावास के दण्डादेश (sentence) की क्रियान्विती इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखी जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

RAHUL KUMAR KHANDELWAL /09